रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220927
CG-DL-E-07082020-220927

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 316] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SRAVANA 16, 1942

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

फा.सं. सीए/193/2020/म.स.अ.ए(विनियम).— वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 जो भारत के राजपत्र के भाग ।।। खण्ड 4 मे दिनॉक 26 मार्च, 1983, को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2020 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे तथा कोरोना महामारी एवं इसके फलस्वरूप लागू प्रतिबंधों को देखते हुए, जनसाधारण के हित में, केवल एक बार के उपाय के रुप में, अकादमिक सत्र 2020–2021 के लिए ही लागू होंगे।

2. वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :—

   (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायनशास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3. विनियम 4 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :—

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभिक्षमता परीक्षा, अर्थात, राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा अथवा संयुक्त दाखिला परीक्षा, उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायनशास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा 10+3 परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो वे वास्तुकला स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश के योग्य होंगे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./175/2020-21]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम दिनॉक 26 मार्च, 1983, को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा बाद में संशोधित हुए तथा दिनॉक (1) 27 अगस्त 1983, (2) 7 जनवरी 2006, (3) 19 मई 2017, (4) 19 फरवरी, 2019 को राजपत्र में प्रकाशित हुए।

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Statutory authority constituted under the Architects Act, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2020

F.No.CA/193/2020/MSAE (Regulations) - In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h), and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 26th March, 1983, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette and shall be applicable for the academic session 2020-2021, as a one-time measure, in view of Covid 19 Pandemic and the resultant restrictions imposed and continuing in larger public interest.

2. The Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, in Regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted:

(1) "No candidate shall be admitted to B.Arch. course unless she/ he has passed in 10+2 scheme of examination with PCM subjects or pass in 10+3 Diploma with Mathematics, as the case may be.

3. In Regulation 4, for sub-Regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted:

(2) The Candidates who have qualified the aptitude test i.e. NATA or JEE, with pass percentage in 10+2 scheme of Examination with PCM or 10+3 Diploma with Mathematics shall be eligible for admission to B.Arch. Course for academic session 2020-21.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./175/2020-21]

Footnote :- The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 26th March, 1983 and subsequently amended and published in the Gazette of India (i) dated the 27th August, 1983, (ii) dated the 7th January, 2006, (iii) dated the 29th May, 2017, (iv) dated 19th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM